



उभारी देवी कानन बाबुलाल कु.क. 09/19

दिनांक	आज्ञा पत्र
20.4.26	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6:30 तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p></p> <p>सू-प्रबन्ध अधिकारी ९२ पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर</p> <p></p>